



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27068-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - **1144/2026**

रवींद्र एवं अन्ययाचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्यप्रत्यर्थीगण

याचीगण के अधिवक्ता: ज्ञान प्रकाश मिश्रा, ओम शिव पाण्डेय

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान रिट याचिका याचीगण द्वारा थाना खानपुर, जनपद बुलंदशहर में भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.), 2023 की धारा 318(4), 336(3), 338, 351(3) के अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 222/2025 के फल-स्वरूप हुई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दिनांक 11.09.2025 को खंडित (क्वैश) करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचीगण पूरी तरह निर्दोष हैं और उन्हें दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से, प्रथम दृष्टया याचीगण के विरुद्ध शिकायत किए गए किसी भी अपराध का खुलासा नहीं होता है और इस प्रकार, याचीगण के विरुद्ध आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट खंडित किए जाने योग्य है।
4. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है और तर्क दिया है कि आक्षेपित एफ.आई.आर. के अवलोकन से स्पष्ट है कि याचीगण सहित आरोपी व्यक्तियों ने एक-दूसरे के साथ मिलीभगत करके सचिन कुमार/सूचनाकर्ता को नौकरी दिलाने के बहाने एक बड़ी धनराशि प्राप्त की है और यह भी आरोप है कि उन्होंने सूचनाकर्ता को दिनांक 20.12.2024 का एक फर्जी जवाइनिंग लेटर (नियुक्ति पत्र) भी जारी किया था; इस प्रकार, याचीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। अतः, 'तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी', जो (2017) 2 एससीसी 779 में रिपोर्ट किया गया है, 'नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य', जो (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 315 में रिपोर्ट किया गया है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय दाण्डिक अपील संख्या 843/2024, 'प्रवर्तन निदेशालय बनाम

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



नीरज त्यागी एवं अन्य' के मामलों में प्रतिपादित कानून के आलोक में प्रथम सूचना रिपोर्ट को खंडित नहीं किया जा सकता है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करने के बाद तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि याचीगण सहित आरोपी व्यक्तियों ने मिलीभगत करके सूचनाकर्ता सचिन कुमार को नौकरी दिलाने के बहाने बड़ी धनराशि ली और उसे दिनांक 20.12.2024 का फर्जी नियुक्ति पत्र भी जारी किया, याचीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। इसके अलावा, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा उद्धृत प्रासंगिक कानून और इस तथ्य के दृष्टिगत कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट याचीगण के विरुद्ध संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है, हमारी यह राय है कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को खंडित नहीं किया जा सकता है, इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट को खंडित करने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।
6. तथापि, यदि याचीगण उचित न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत/नियमित जमानत के लिए आवेदन करते हैं, तो उनके जमानत आवेदन पर कानून के अनुसार यथासंभव शीघ्रता से विचार कर निस्तारण किया जाए।
7. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

6 फरवरी, 2026

वी.के.जी.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"